

राजस्थान सरकार
निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

डॉ राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राजस्थान.

dirminority@gmail.com

दूरभाष.: 0141-271-3022


क्रमांक :- प.2(9) अ.स.निदे./कन्या छात्रा.संचालन/2010-11/पार्ट 2016-17/15313 जयपुर, दिनांक 10-10-2017

कार्यालय आदेश

अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित राजकीय एवं अनुदानित अल्पसंख्यक छात्रावासों में आवासरत विद्यार्थियों की भोजन व्यवस्था हेतु डाईट मीनू का निम्नानुसार निर्धारण किया जाता है:-

प्रातः काल नाश्ता	दोपहर भोजन	शाम का नाश्ता	रात्रि भोजन	स्पेशल डाईट मासिक (त्यौहार/ उत्सवों पर आवश्यक)
दूध (100 ग्राम) पोहा/ दलिया/मीठा दलिया /नमकीन चावल/अंकुरित चना/मूँग/मौसमी फल/ उपमा (प्रतिदिन 100 ग्राम दूध के साथ उपरोक्त में से कोई भी एक आइटम)	मौसमी सब्जी, मिक्स दाल, चावल, चपाती, रायता *वैकल्पिक सब्जी (दही युक्त गट्टा या कढ़ी) (सप्ताह में दो दिन)	बिस्कुट या फल	मौसमी सब्जी, मिक्स दाल, चावल, चपाती, पापड *वैकल्पिक सब्जी (दही युक्त गट्टा या कढ़ी) (सप्ताह में दो दिन)	*पूरी, सब्जी, खीर/ हलुआ/ मीठी नुक्ती *दाल, बाटी, चूरमा (उपरोक्त में से कोई भी एक संयोजन)

उक्त आदेश 16 अक्टूबर, 2017 से प्रभावी होंगे।



(कैलाश बैरा)
निदेशक

क्रमांक :- प.2(9) अ.स.निदे./कन्या छात्रा.संचालन/2010-11/पार्ट 2016-17/15314-53 जयपुर, दिनांक 10-10-2017
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान सरकार।
- निजी सचिव, अतिरिक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान सरकार।
- समस्त संभागीय आयुक्त,
- समस्त जिला कलेक्टर
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्
- संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान सरकार।
- अतिरिक्त निदेशक (नोडल अधिकारी) निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी (नोडल अधिकारी), राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फस, जयपुर।
- सचिव (नोडल अधिकारी) राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर।
- प्रबंध निदेशक (नोडल अधिकारी), राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर।

कृ.प.उ.

11. उपनिदेशक, प्रथम (नोडल अधिकारी), निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर।
12. उपनिदेशक, द्वितीय (नोडल अधिकारी), निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर।
13. उपनिदेशक, एम.एस.डीपी (नोडल अधिकारी), निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर।
14. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक मामलात विभाग को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि सत्र 2017-18 की अवधि से उक्त आदेश में वर्णित डाईट मीनू के अनुसार राजकीय/अनुदानित अल्पसंख्यक छात्रावासों में भोजनादि की व्यवस्था सुनिश्चित करावें तथा आदेश की प्रति पालनार्थ समस्त छात्रावासों (छात्रावास अधीक्षक/अनुदानित छात्रावास अधीक्षक/संचालक) को भी पालनार्थ उपलब्ध करावें।
15. वरिष्ठ लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी प्रथम, सहायक लेखाधिकारी, द्वितीय, लेखाशाखा, कार्यालय हाजा।
16. सूचना सहायक, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
17. रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक